[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इसी कारण नोटिस दिए गए हैं। इस पर भी हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को कब तक रखा जा सकता है। छटनी करने पर भी इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि जब भी अवसर मिले, उन्हें वापस लिया जाय। स्थिति यह है। मैं समझता हूं कि इस में कोई असामान्य बात नहीं है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व : हमारी सूचना यह है कि १,३६२ नोटिस दिय गए थे जिन्हें १५ मई से अर्थात् आज समाप्त होना था। उसके बदले में केवल १५० व्यक्तियों को और काम दिलाया गया है। क्या प्रधान मंत्री यह बतला सकेंगे कि स्थिति सुधरेगी तथा इन में से और व्यक्तियों को दूसरा कोई काम दिया जायगा या इस प्रकार की कोई और कार्य-वाही की जायगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं केवल इतनी बात ही कह सकता हूं कि हम अपना पूरा प्रयत्न करते हैं तथा हम विश्वास करते हैं कि वह प्रयत्न सफल होता है—कितने समय में सफल होता है, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या पिछले तीन चार दिन से दिल्ली डिपो में अतिरिक्त समय के लिए काम करने की अनुमति दी गई है तथा यदि ऐसा है तो इसका कारण क्या है ? यदि प्रधान मंत्री का यह कहना है कि फालतू कर्मचारी भरे पड़े हैं तो इस अतिरिक्त समय के काम की क्या आवश्यकता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे माननीय सदस्य की यह बात समझ में नहीं आई कि 'पिछले तीन चार दिन' से उनका क्या अभिप्राय है। हो सकता है कि कहीं कहीं काम के शेष को निपटान के लिए ऐसा किया गया हो।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डनेन्स डिपुओं में छटनी के प्रश्न को विभिन्न रूपों में बार बार उठाया गया है। माननीय श्री त्यागी ने बतलाया था कि सिवाय नितान्त आवश्यकता के व्यक्तियों की छटनी करने का कोई विचार नहीं है। लोगों को उसके स्थान पर दूसरा काम दिलाया जाता है तथा आडनेन्स फक्टरियों के काम को बढ़ाने की भी पूरी सक्रिय चेष्टा की जाती है ताकि असैनिक आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके तथा छटनी आदि की आवश्यकता भी न पड़े। प्रधान मंत्री ने भी अभी कहा है कि इन व्यक्तियों को हानि न होने देने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जायगा। इस विचार से मैं समझता हूं कि मेरे लिए इस स्थगन प्रस्ताव की मंजूरी का देना जरूरी नहीं है।

अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सी० वी० रामा राव ने सख्त गर्मी तथा अस्वास्थ्य के कारण सदन से अनुपस्थिति की छुट्टी की प्रार्थना की है। क्या सदन उन्हें छुट्टी प्रदान करता है ?

सदन ने छुट्टी दिए जाने की अनुमति दी।

वैदेशिक मामलों पर वक्तव्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जब पिछले अवसर पर वैदेशिक मामलों पर वक्तव्य दिया गया था, तब से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र

में बहुत कुछ हो चुका है। बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं हो चुकी हैं। यद्यपि संसार की किसी मुख्य समस्या का हल नहीं हो सका है फिर भी इतने वर्षों में प्रथम बार बहुत से व्यक्तियों को इन समस्याओं के हल की आशा बंधी है तथा 'शीत युद्ध' भी कुछ ठंडा पड़ गया है।

इस नए दृष्टिकोण के बारे में रूस से बहुत प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं तथा चाहे कुछ लोग इस बारे में कुछ भी विचार करें, इन बातों का इस विचार से स्वागत किया जाना चाहिए कि उस से संसार में तनाव कम होता है। चीन में भी कोरियाई युद्ध को शान्तिपूर्ण समाप्त करने की इच्छा स्पष्ट दिखाई देती है।

सदन को स्मरण होगा कि कुछ महीने पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कोरिया पर एक संकल्प रखा था तथा उसे महासभा में भारी बहुमत से पारित किया गया था। उस संकल्प से किसी आज्ञा या आदेश आदि लेने का अभिप्राय नहीं था बल्कि समझौते के लिए सच्चे दिल से कोशिश की गई थी। संयुक्त-राष्ट्र संघ की महासभा के सभापति महोदय ने भी उस संकल्प को उसी भावना से चीनी तथा उत्तरी कोरिया की सरकारों को भेजा था। दुर्भाग्य से चीन तथा रूस की सरकारों ने उस संकल्प को अस्वीकृत कर दिया तथा समझौते के बारे में हमारी आशाओं को बड़ा धक्का लगा। तथापि हाल में चीन की सरकार ने कोरिया के सम्बन्ध में नई प्रस्थापनाएं रखी हैं जिस से इस समस्या को फिर से हल करने का मार्ग खल गया है। यह मार्ग कुछ सीमा तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित किये गए संकल्प से संगत है उसके कुछ ही समय बाद चीनी सरकार के अपनी प्रस्थापनाएं रखीं जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा पारित किए गए भारतीय संकल्प से बहुत मिलती जुलती थीं। हमने उन ८ सूची प्रस्थापनाओं का स्वागत किया क्योंकि उनसे तात्कालिक समस्याओं के एक ठोस आधार पर ऐसा हल होने की आशा बन्धती थी जो संयुक्त-राष्ट्र की स्वीकृत नीति से संगत था। और बहुत से राष्ट्रों ने भी इन प्रस्थापनाओं का स्वागत किया।

दो तीन दिन हुए, कोरिया स्थित संयुक्त-राष्ट्र संघ के कमान ने इस की तुलना में अपने प्रस्ताव रखे। इस समस्या के सम्बन्ध में किसी भी रचनात्मक हल के सुझाव का सदैव स्वागत किया जाना चाहिए। इन प्रस्तावों की गहरी छानबीन से ऐसा मालूम होता है कि उनका महासभा के संकल्प से बहुत अन्तर है। संयुक्त-राष्ट्र संघ उस संकल्प के बारे में बचन बद्ध है। ऐसा जान पड़ता है कि चीनी तथा उत्तर-कोरियाई सरकारों ने इस में से कुछ प्रस्थापनाओं के बारे में अपना मतभेद प्रकट किया है तथा यह कहा है कि वे इन्हें वर्तमान रूप में स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं।

जहां तक भारत का सम्बन्ध है, हम किसी भी ऐसे हल का स्वागत करेंगे जिसे सम्बन्धित पक्षों ने परस्पर स्वीकार कर लिया हो। फिर भी हम अनुभव करते हैं कि इस प्रकार के हल की संयुक्त-राष्ट्र संघ के संकल्प के आधार पर होने की बहुत सम्भावना है तथा चीन की ८-सूची प्रस्थापनाएं इस संकल्प से इतनी मिलती जुलती हैं कि उन्हें चर्चा का आधार बनाया जाना चाहिये तथा मुझे आशा है कि वह किसी हल का भी आधार बन

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सकेगी। इतनी गुंजाइश होनी चाहिये कि उन्हें विस्तृत बनाया जा सके या आवश्यकता अनुसार उन में कोई परिवर्त्तन किया जा सके। अतएव हमारी यह मनोकामना है कि हल के इस दृष्टिकोण का त्याग नहीं किया जायगा तथा इसका अनुसरण किया जायगा। प्रत्येक अवस्था में हमारा यह विश्वास है कि पान मुन जान पर चल रही समझौते की वार्त्ता को आगे बढ़ाया जायगा, चाहे कभी कभी उसमें अधोगित क्यों न हो।

सदन को विदित है कि इनमें से कुछ प्रस्थापनाओं में भारत का नाम बार बार आया है तथा इस बात का सुझाव दिया गया है कि यह देश विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व अपने पर ले। हम दूरवर्त्ती उत्तरदायित्वों को अपने पर लेने से इतने प्रसन्न नहीं हैं, परन्तु यदि सम्बन्धित पक्षों के बीच कोई समझौता हो जाय तथा हमारे लिए प्रस्तावित कार्य ऐसा हों जिसे हम कर सकने के योग्य हों तथा वह कार्य हमारे द्वारा अनुसरण की जा रही नीति के विरुद्ध न हो तो हम उस उत्तरदायित्व से नहीं भागेंगे। यह उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि सौभाग्य से भारत के सम्बन्ध उन शक्तियों से मित्रता के हैं जो इस झगड़े में सम्बन्धित पक्ष हैं। यदि भारत किसी प्रकार से शान्ति की स्थापना में सहायता दे सकता है। तो हम बड़ी प्रसन्नता से अपनी सेवाएं अर्पित करेंगे। परन्तु ये सेवाएं तभी अर्पित की जा सकेंगी यदि हल के बारे में परस्पर कोई समझौता हो जाय।

मैं ने उन नई आशाओं की ओर संकेत किया है जो असंख्य व्यक्तियों के दिलों में पैदा कर दी गई हैं। उन लोगों की आशाएं बंध गई थीं कि युद्ध का भय, जिस से मानव जाति व्यापित है, कम हो जायगा तथा कि 'शीत युद्ध' जिसके खतरे तथा बोझे का वर्णन अमरीका के प्रेज़ीडेन्ट ने हाल ही में बड़े सुन्दर तथा प्रभावशाली शब्दों में किया था, समाप्त हो जायगा। निस्सन्देह संसार में एक नया वातावरण देखने में आ रहा है तथा अब पहले के किसी समय की अपेक्षा आशा की अधिक झलक दिखाई दे रही है। यह कार्य संसार के राजनीतिज्ञों का है तथा अधिक विशेषता से उन व्यक्तियों का है जिनके कन्धों पर बड़े राष्ट्रों का प्रशासन भार है कि वह इस अवसर का लाभ उठाएं तथा साहस और बुद्धिमता से काम लें और इस प्रकार से मानव जाति को शान्ति की ओर ले जाएं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने हाल में संसार के बड़े बड़े तथा प्रमुख राष्ट्रों के अनौपचारिक तथा निजी रूप से और बिना किसी निर्विघत कार्यक्रम के उच्चतम स्तर पर सम्मेलन का सुझाव रखा है जिस से वे मानव जाति को व्यपित करने वाली समस्याओं का हल निकाल सकें तथा मानवता को युद्ध के भय से मुक्त कर सकें। मैं इस सुझाव का हार्दिक समर्थन करता हूं। इस समय संसार ने आपको बहुत अनमोल अवसर दिया है तथा युद्ध से तंग आई हुई तथा भय से दबी मानवता उन्हें आशीर्वाद देगी जो उसे इस भयङ्कर भार से मुक्त करेंगे तथा उसे शान्ति और खुशी की ओर ले जायेंगे। प्रेज़ीडेन्ट ईज़नहावर इस प्रकार के सम्मेलन के विचार का विरोध नहीं करते। परन्तु हाल में उन्होंने कहा है कि इन सम्मेलनों के लिए अभी उचित समय नहीं आया है।

मुझे खेद से बतलाना पड़ता है कि मध्य पूर्व में स्थिति खतरनाक रूप से

बिगड़ गई है। भारत को मध्य-पूर्व के देशों में गहरी रुची है तथा भारत के उन देशों स कई शताब्दियों के मैत्री सम्बन्ध हैं। यदि मध्य-पूर्व की इन समस्याओं को शान्ति पूर्ण ढंग तथा परस्पर सहयोग से हल न किया गया तो यह केवल सम्बन्धित देशों के लिए ही एक दुर्भाग्य की बात नहीं होगी, बल्कि सारे संसार के लिए।

अफ़्रीका का सारा महाद्वीप एक गतिशील परिवर्तन के पंजों में जकड़ा है तथा किसी समय भी वहां का लावा फूट सकता है। जैसा कि अच्छी प्रकार से विदित है, बहुत दूर दक्षिण में जातीय विभेद की अत्यन्त असहन शीलता पर आधारित नीति से संसार को बहुत बड़ा धक्का लगा है। अफ़्रीका के दूसरे भागों में भी विभिन्न रूपों में यह जातीय विभेद देखने में आ रहा है। अफ़्रीका की बढ़ती हुई राष्ट्रीय तथा आत्मीयता की भावनाओं से इसकी टक्कर का होना अनिवार्य है। दुर्भाग्य से सब ओर से बहुत हिंसात्मक काम हुए हैं तथा सख्ती की गई है जिस से असंख्य व्यक्तियों को दुःख पहुंचा है। अफ़्रीका की समस्या का जातीय विभेद तथा अफ़्रीकी जनता पर, जो कितनी शताब्दियों से भयङ्कर दुःख उठा रही है तथा जिसे अवश्य ही हमारी सहानुभूति प्राप्त है, सख्ती से कोई हल नहीं हो सकेगा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि वहां पर हिंसात्मक तरीकों को बन्द कर दिया जायगा क्योंकि इस से सभी सम्बन्धित पक्षों को कष्ट होता है।

यह हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले पांच या छः वर्षों से हमारे पड़ौसी देश से हमारे सम्बन्ध बिगड़े चले आ रहे हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बारे में पक्षपात से रहित तथा शान्ति पूर्ण विचार से इस निष्कर्ष पर पहुंचना अनिवार्य है कि दोनों देशों में मित्रता तथा सहयोग के सम्बन्ध होने चाहियें। भूगोल पिछले इतिहास, सांझी सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि तथा असंख्य वैयतिक सम्बन्धों पर विचार करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई और निष्कर्ष दोनों पक्षों के लिए दुःख तथा सर्वनाश से भरा पड़ा है। मुझ सदन को सूचना देते हुए प्रसन्नता है कि कुछ सप्ताहों से इन सम्बन्धों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा पाकिस्तान ने हमारे प्रति मित्रता के कई संकेत किए हैं जिनका हम अपनी ओर से स्वागत करते हैं। हम इन संकट के बादलों को जो हमारे दोनों देशों पर छाए हुए हैं तथा उनसे व्यक्तियों को व्यपित किए हुए हैं। दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे (**हर्ष-ध्वनि**)।

पाकिस्तान के महा-राज्यपाल ने हाल में कहा था कि पाकिस्तान की स्वतन्त्रता तथा सम्पूर्ण प्रभुत्व का स्वीकार किया जाना आवश्यक है तथा कि उन में दखल देने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिये। मुझे आश्चर्य है कि इस स्पष्ट तथ्य का वर्णन किया गया है। पाकिस्तान की स्वतन्त्रता में दखल देने की इच्छा किसी न्यायप्रिय व्यक्ति को नहीं है तथा न ही हो सकती है। निश्चय ही भारत की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। हम अपने पड़ौसी देश से मैत्री के सम्बन्धों को बनाए रखने के इच्छुक हैं तथा चाहते हैं कि दोनो देश एक दूसरे की स्वतन्त्रता को स्वीकार करें। मैं जानता हूं कि भारत तथा पाकिस्तान में कुछ ऐसे पथभ्रष्ट व्यक्ति हैं जिन्होंने एक दूसरे देश के विरुध घृणा तथा दुर्भाव के बीज बोए हैं तथा जो हस्तक्षेप तथा झगड़ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परन्तु इस देश तथा इस संसद्

[श्री जवाहरलाल नहरू]

ने इस शरारत से भरी तथा मिथ्या विचार-धारा की निन्दा और खण्डन किया है ।

हाल के महीनों में एक घरेलू आन्दोलन ने, जिसका हमारे वैदेशिक सम्बन्धों पर प्रभाव है, दिखला दिया है कि यह विचार-धारा कितनी शरारत भरी तथा उत्तर-दायित्व से रहित है। मेरा निर्देश 'जम्मू आन्दोलन' से है जिससे यह प्रदर्शित हो गया है कि यह अनुत्तरदायी त ा हानिकारक व्यवहार किस सीमा तक जा सकता है। इस आन्दोलन से हमारे ध्येय को न केवल अन्तर्राष्ट्रीय विचार से ही हानि पहुंची है, बल्कि उस हल का प्राप्त करना भी अधिक कठिन हो गया है जो इस आन्दोलन के सामने है। यह एक प्रकार से संसद् को दी गई चुनौती है। हमारी संसद् के फैसलों को अवैध तथा हिंसात्मक तरीकों से भंग करने का यत्न है। यह एक आश्चर्यजनक खेद की बात है कि जिन लोगों का मुख्य कर्त्तव्य संविधान तथा संविधान के अन्तर्गत बनाई गई विधियों का सम्मान करना होना चाहिए था, वही व्यक्ति जनता को इन विधियों के भंग करने का दुरुत्साहित करन के लिये अपराधी हो। मैं इस मामले के केवल नैतिक पहलुओं की ओर ही निर्देश नहीं कर रहा हूं, बल्कि इस आन्दोलन के राष्ट्रीय तथा अन्तरष्ट्रीय दृष्टि से बुरे परिणामों की ओर भी निर्देश कर रहा हूं।

संसार समस्याओं से भरा पड़ा है तथा व्यथित मानवता अनेक प्रकार के भय तथा बोझ से कुछ मुक्त होने के लिए चिन्तित है। इस दुःखद नाटक में इस बड़े देश में हम पर भी कुछ उत्तरदायित्व आता हैं। हमारी अपनी समस्याएं भी काफ़ी हैं तथा हमारा विचार और शक्ति उनमें लगे हैं, परन्तु हम राष्ट्रों के महान बन्धुत्व से अलग नहीं रह सकते तथा न ही उन समस्याओं से भाग सकते हैं जिनका मानव जाति को सामना है। चाहे हम इसे पसन्द करें या न करें, भाग्य तथा परिस्थिति के इस उत्तर-दायित्व को हम पर डाला है तथा हमें इसे निभाना ही पड़ेगा। और लोगों के साथ साथ, जिस प्रकार से हम इसे निभाते हैं, उस से यह निश्चित हो जायगा कि वर्तमान तथा भावी सन्तान के भाग्य में शान्ति, उन्नति और सुख लिखा है या कि उन्हें अनिवार्य विनाश का सामना करना होगा। उस उत्तरदायित्व को केवल तभी निभाया जा सकता है, यदि हम स्वयं संगठित रहें तथा इस समय के भय या उत्तेजना में न बहकर अपने उच्च आदर्शों और उद्देश्यों को सदैव अपने सामने रखें।

लोक लेखा—समिति की रिपोर्ट

श्री टी० एन० सिंह (ज़िला बनारस—पूर्व): मैं विनियोग लेखाओं (असैनिक), १९४९-५० तथा असमान्त लेखाओं (असैनिक) १९४८-४९ के सम्बन्ध में लोक-लेखा समिति की सप्तम रिपोर्ट को स्तुत करता हूं।

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

भारत के औद्योगिक वित्तीय निगम के सामान्य विनियमों का संशोधन करने वाली अधिसूचना

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं सदन-पटल पर वित्त मंत्रालय की अधि-सूचना संख्या ५/५३ दिनांक ३० मार्च, १९५३ की एक प्रतिलिपि, जिस में भारत के औद्योगिक निगम के सामान्य विनियमों में औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत कुछ संशोधन